



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर छेड़खानी व जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 17,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु०अ०सं०- 493/2013 धारा- 354,354ए,504,506 भा०द०सं० व 8 पोस्को एक्ट व 3(1)10, 3(1)11 एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय पोक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त कमलेश पुत्र कल्लू नाई निवासी ग्राम गुढ़ा थाना मौदहा हमीरपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास व 17,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री रुद्र प्रताप
सिंह



विवेचक-
सीओ धनन्जय
सिंह



पैरोकार- थाना मौदहा
का० शुभम